

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व निम्खाटेडा जायत
 भू अभिलेख निरीक्षक निम्खाटेडा जायत की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसीलदार करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम निम्खाटेडा जायत पटवार हल्का निम्खाटेडा जायत
 तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2075-78 में खाता 46
 संख्या 46 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड
 में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	<u>निम्खाटेडा जायत</u>	46	<u>सोहनी पत्नी मोहन</u>	<u>सोहनी उर्फ मोहनी पत्नी मोहन</u>

उपखण्ड अधिकारी पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 08/06/2022

क्रमांक/न्यायालय /2022 / 02

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री सोहनी उर्फ मोहनी पत्नी मोहन

उपखण्ड अधिकारी पदेन
 उपखण्ड अधिकारी
 करेड़ा जिला भीलवाड़ा

2022/393